School No. 2162

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बी एस एफ़ भिखीविंड

CBSE Affiliation No. 1600048

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF BHIKHIWIND

गाँव-सिंघपुरा, जिला- तरनतारन, भिखीविंड, (पंजाब)- १४३३०३

Village-Singhpura, District- Tarntaran, Bhikhiwind (PB) 143303

शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन एक स्वायत्त निकाय

An Autonomous Body Under Ministry of Education (Govt. of India)

Phone No. : (O) 01851-299150 Website : https : / / bhikiwindbsf . kvs . ac . in Email - pmshrikvbhikhiwind@gmail.com

F.No.45/2162/Condemn/ केवी-भिखीविंड/2025-26/ **दिनांक : 13/10/2025**

नीलामी सूचना

सभी को यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय के संगणक विभाग, एसयूपीडबल्यू, खेल विभाग, सि एम पी विभाग तथा फर्नीचर विभागों का सामान जो अनुपयोगी घोषित है, उनकी नीलामी की जा रही है।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म विद्यालय परिसर में 25.10.2025 को सुबह 10:00 बजे **"जिस हाल में है उसी हाल में"** नीलामी योग्य वस्तुओं का अवलोकन कर सकते है एवं नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सुबह 10:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं।

कार्यालय द्वारा निर्धारित वस्तुओं की न्यूनतम बोली दिनांक 25.10.2025 को सुबह 11:00 बजे प्राचार्य द्वारा निर्धारित की जाएगी व अधिकतम बोली लगा कर खरीदी जा सकती है। अतः इच्छुक क्रेतागण अधिकतम बोली लगा कर इस अवसर का लाभ उठाएं।

सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली राशि तुरंत जमा करनी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामान को तुरंत अपनी लागत पर उठाना होगा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

<u>नीलामी के लिए नियम और शर्तें</u>

1. संगणक विभाग के सामानों की बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म के पास E-Waste खरीद हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति से जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र होना आवश्यक हैं (पंजीकरण दस्तावेज नीलामी से पूर्व कार्यालय में जमा करवाने होंगे)।
2. बोली लगाने वाले को बोली में भाग लेने से पहले 2000 की धरोहर राशि जमा करानी होगी जो नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।
3. अपने व्यक्तिगत पहचान / फर्म का पहचान पत्र लाना होगा।
4. संगणक विभाग के सामानों की उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को 1000 की अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी जो उनके द्वारा E-Waste के भारत / राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार निस्तारण के पश्चात निस्तारण के प्रमाणपत्र जमा करवाने पर प्राप्त की जा सकती है।
5. समिति द्वारा स्वीकार्य उच्चतम बोली की राशि को मौके पर ही जमा करना होगा, जिसमें धरोहर/सुरक्षा राशि समायोजित कर दी जाएगी। नीलामी की गयी सामग्री बोलीदाता द्वारा भुगतान करने के तुरंत बाद उठानी होगी। स्वीकृति के समय बोलीं कि 100% राशि जमा कराने में विफलता के मामले में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
6. अन्य नियम और शर्तें यदि कोई है, समिति द्वारा नीलामी प्रारंभ होने से पहले ही घोषित कर दी जाएगी।
7. विद्यालय के नीलामी योग्य सभी वस्तुओं को इसकी नीलामी के लिये एकल स्थान पर रखा जाएगा।

समिति बिना किसी भी कारण को बताए, किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

13/10/

(वंदना त्यागी)

प्राचार्य

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय भिखीविंड
Kendriya Vidyalaya Bhikh
तरन तारन / Tarn Taran